RNI No. MAHBIL /2009/35527

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १२, अंक ११ (२)] बुधवार, मार्च २५ , २०२६/चैत्र ४, शके १९४८ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110 001, dated 20th March, 2026.

NOTIFICATION

No. 576/EXIT/2026/SDR/Vol.I.— Whereas, the schedule for the current General election to the Legislative Assemblies of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry and bye-elections to 8 Assembly Constituencies in 6 States (as per Annexure-I) have been announced by the Election Commission *vide* **Press Notes No. ECI/PN/029/2026 and No. ECI/PN/030/2026 both dated 15th March, 2026;** and

2. Whereas, Section 126A of the Representation of the People Act, 1951(in short R.P. Act, 1951) specifies that "(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.

(2) For the purposes of sub-section (*1*), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely : —

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;

(b) In case of a bye-election or a number of bye-elections held together, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll;

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (*1*) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-Section (*2*) of the said Section, hereby notifies the period between **7:00 a.m. on 9th April, 2026 (Thursday) and 6:30 p.m. on 29th April, 2026 (Wednesday),** as the period during which conducting and publishing or publicizing exit poll by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid general election and bye elections, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of the poll in connection with the aforesaid general elections and bye elections.

Annexure-I

Sl. No.	**Name of the State**	**Number and Name of the AC**
1.	Maharashtra	223-Rahuri
2.		201-Baramati
3.	Goa	21-Ponda
4.	Karnataka	24-Bagalkot
5.		107-Davanagere South
6.	Nagaland	28-Koridang (ST)
7.	Tripura	56-Dharmanagar
8.	Gujarat	111-Umreth

By Order,

S. B. JOSHI,
Principle Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली ११०० ०१, दिनांक २० मार्च, २०२६.

अधिसूचना

सं. ५७६/एक्जिट/२०२६ / एसडीआर / खंड- I.— यतः निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ECI/PN/०२९/२०२६ तथा संख्या ECI/PN/०३०/२०२६, दोनों दिनांक १५ मार्च, २०२६; के जरिए असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचन एवं ६ राज्यों के ८ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक-I के अनुसार) के उप निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है; और

२. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, १९५१) की धारा १२६क में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि "(१) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

(२) निर्वाचन आयोग, उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :—

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रहेगी;

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रहेगी।

(३) कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"

३. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२६क की उपधारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (२) के उपबंधों के दृष्टिगत **९ अप्रैल, २०२६ (गुरुवार) को प्रातः ७:०० बजे से लेकर २९ अप्रैल, २०२६ (बुधवार) को अपराह्न ६:३० बजे के बीच** की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान ऊपर उल्लिखित साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

४. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२६(१)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचन एवं उप चुनावो के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली ४८ घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा ।

अनुलग्नक-१

क्रम सं.	राज्य का नाम	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
१.	महाराष्ट्र	२२३-राहुरी
२.		२०१-बारामती
३.	गोवा	२१- फोंडा
४.	कर्नाटक	२४-बागलकोट
५.		१०७-दावन्गेरे दक्षिण
६.	नागालैंड	२८-कोरीडाँग(अ.ज.जा)
७.	त्रिपुरा	५६-धर्मानगर
८.	गुजरात	१११- उमरेठ

आदेश से,

एस. बी. जोशी,
प्रधान सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

क्रमांक संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.१६(कार्या-३३)/नि.-११,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ मार्च, २०२६.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :—

(१) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, अहिल्यानगर.

(२) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे.

(३) निवडणूक निर्णय अधिकारी,२२३- राहुरी विधानसभा मतदारसंघ (जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेमार्फत).

(४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, २०१- बारामती विधानसभा मतदारसंघ (जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे यांचेमार्फत).

मनोहर पारकर,
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य.